पत्र संख्या-ए।परि०9-1048।80 मं० सा०--1090
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

प्रेषक
श्री ए० के० एम० हसन,
आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उप-आरक्षी महानिरीक्षक,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला आरक्षी अधीक्षक
सभी जिला उप-विकास आयुक्त,
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,
सभी अनुमण्डलीय उप-आरक्षी अधीक्षक।

दिनांक 8 नवम्बर, 1993।

विषय—मंत्रियों।विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति सौजन्य प्रदर्शित करने सम्बन्धी अनुदेश।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि इस विभाग के पत्र संख्या-ए।पी० एस-10-2012।69 पी० जी०-828, दिनांक 13 जून 1969, संख्या-ए।पी०ए-10-2012।69 पी० जी० 1282, दिनांक 24 सितम्बर, 1970 तथा संख्या-ए। प०-10-2018।69 रा० सा०-856, दिनांक 26 मई, 1972 में विशिष्ट व्यक्तियों के परिदर्शन के अवसर पर उनके प्रति सौजन्य प्रदर्शित करने सम्बन्धी अनुदेश परिचारित किये गये हैं एवं इस विभाग के पत्रांक ए।परि० 9 -1040।80 मं० सा०-1282, दिनांक 4 सितम्बर, 1981 पर आश्रित पत्राचार द्वारा उन्हें समय-समय पर दोहराया गया है।

2. पूर्व में निर्गत सभी अनुदेशों को अवक्रमित करते हुए उपर्युक्त विषय पर पुनरीक्षित अनुदेश अनुलग्न किये जाते हैं।

3. जिलाधिकारियों, अनुमण्डल पदाधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों का यह विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिये कि जब भी विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रम की सूचना उन्हें प्राप्त हो, अनिवार्य रूप से उनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उनके आगमन के पूर्व ही सुनिश्चित कर लिए जाये।

4. अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त अनुदेशों का मुस्तैदी से अनुपालन किया जाय।

5. इन अनुदेशों की प्रतियां सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को कृपया उपलब्ध करायी जाय। अनुदेश की पांच प्रतियां संलग्न की जाती हैं।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप संख्या-ए।परि० 9-1048।80 मं० सा०-1090

दिनांक 8 नवम्बर, 1983।

प्रतिलिपि--आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव।उपाध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।मुख्य सचिव के सचिव।अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव। आयुक्त एव सचिव, नयाचार के वरीय निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि मंत्री, राज्य विधान परिषद् के सभापति, राज्य विधान-सभा के अध्यक्ष तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के परिदर्शन काल में सौजन्य प्रदर्शित करने के संबंध में समय-समय अनुदेश परिचारित किये जा रहे हैं। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 1090, दिनांक 8 नवम्बर 1983 के साथ अनुलग्न अनुदेश की एक प्रति सरल निदेशक के लिये पुनः संलग्न की जा रही है। इस विभाग के परिपत्र संख्या-353, दिनांक 24 जनवरी 1991 द्वारा भी इस विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए इस तथ्य को ठहराया गया है कि उपर्युक्त विशिष्ट महानुभावोंके प्रति, परिदर्शन काल में अवश्य सौजन्य प्रदर्शित किये जाय पर ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अनुदेश को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है जिसके फलस्वरूप शिकायतें प्राप्त हो रही है।

4. अतः अनुरोध है कि विधान मंडल के पीठासीन पदाधिकारी, मंत्रीगण तथा अन्य विशिष्ट महानुभावों के प्रति सौजन्य प्रदर्शित करने संबंधी उपर्युक्त परिपत्र का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर कड़ी कार्रवाई की जायगी।

विश्वासभाजन,

आर० यू० सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप संख्या-1549

पटना 15, दिनांक 7 नवम्बर, 1991 ई०।

प्रतिलिपि—सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सचिव, बिहार विधान परिषद्।सचिव, बिहार विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

रमणी मोहन ठाकुर
सरकार के उप-सचिव।

विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति सौजन्य प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में

अनुदेश, 1983

1. लोक सभा के अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, राज्यों के विधान परिषदों के सभापति, राज्यों के विधान सभाओं के अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के राज्य मंत्री, राज्य सभा के उपाध्यक्ष, लोक सभा के उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के राज्य मंत्री, केन्द्रीय सरकार के उप-मंत्री, राज्यों के विधान परिषदों के उप-सभापति, राज्यों के विधान सभाओं के उपाध्यक्ष।

(क) सरकारी परिदर्शन—

विशेष शिष्टाचार के अवसरों से भिन्न अन्य अवसरों पर किसी मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति के स्वागत आदि के लिए न्यूनतम व्यवस्थाएं की जायं। मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति के स्वागत एवं विदाई के लिए हवाई अड्डा या रेलवे स्टेशन या अन्य स्थानों पर सभी प्रधान पदाकिारियों को एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं है।

2. जब कोई मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति किसी जिसके या मुफ्फसिल अनुमंडल, के मुख्यालय के परिदर्शन पर जाते हैं, उनके स्वागत एवं विदाई यथास्थिति जिला पदाधिकारियों या अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे यदि उन्हें अन्य महत्वपूर्ण कर्त्तव्य के निर्वहन के लिए तकाजा नहीं हो।

3. इन अनुदेशों का यह अभिप्राय है कि यदि परिदर्शन सरकारी हो एवं परिदर्शन का स्थान उनका मुख्यालय हो, तो सामान्यतः जिलाधिकारी या अनुमण्डल पदाधिकारी स्वयं ही व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत एवं विदाई करेंगे। मात्र असमान्य परिस्थितियों में ही जब कि वे अपने मुख्यालय अधिष्ठान से बाहर हों, या अन्य सरकारी कार्य के कड़ा तकाजा से उसमें पूर्व से लीन रहें, जिलाधिकारी या अनुमण्डल पदाधिकारी किसी वरीय पदाधिकारी को उनके एवज में उनके प्रतिनिधिस्वरूप स्वागत एवं विदाई के लिए भेज सकते है।

4. सरकार यह चाहती है कि ऐसी असामान्य परिस्थितियों में भी जबकि जिलाधिकारी या अनुमण्डल पदाधिकारी को मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति के पहुंचने या विदा होने, को विन्दु पर उपस्थित होने में रुकावट हो तो जिला मुख्यालय में अपर जिला दण्डाधिकारी।उप-विकास आयुक्त, या अपर समाहर्त्ता जो भी वरीयतम पदाधिकारी उपलब्ध हों, एवं अनुमंडल मुख्यालय में उप-समाहर्त्ता, प्रभारी भूमि सुधार या द्वितीय पदाधिकारी को ही उनके स्वागत एवं विदाई के लिए प्रतिनियोजित किया जाय। जब इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं रहें, मात्र उप-विशेष स्थिति में ही जिला मुख्यालय, या अनुमंडल मुख्यालय में उपलब्ध अन्य वरीयतम पदाधिकारी को जिलाधिकारी, या अनुमण्डल पदाधिकारी के प्रतिनिधिस्वरूप प्रतिनियोजित किजाय, परन्तु किसी भी स्थिति में छोटे तबके के पदाधिकारी को स्वागत या विदाई के लिए नहीं भेजा जाय।

5. सरकारी कार्य हेतु यदि कोई मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति किसी निर्दिष्ट पदाधिकारी की उपस्थिति की अपेक्षा करें, तो अपने दौरे कार्यक्रम में, या स्वतंत्र रूप से वे उसे कृपया दरशायेंगे। सम्बधित विभागीय पदाधिकारी अवश्य ही उपस्थित रहेंगे।

6. 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह बीच यदि पहुंचने या विदा होने का समय हो तो उस स्थिति में सामान्यतः किसी पदाधिकारी को स्वागत या विदाई हेतु उपस्थित होना अपेक्षित नहीं होगा।

7. जब परिदर्शन का स्थान किसी जिसे या अनुमण्डल का मुख्यालय नहीं हो, तब मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति से ऐसे पदाधिकारी मिलेंगे, जिन्हें वे विशिष्ट रूप से उपस्थित रहने की इच्छा जाहिर करें।

8. किसी मंत्री।विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने के लिए जिलाधिकारी या अनुमडल पदाधिकारी कार्यक्रम की मदद करना आवश्यक नहीं होगा। ऐसी दशा में दौरे से वापस आने पर, यदि वह उपस्थित रहें, जिलाधिकारी, या अनुमण्डल पदाधिकारी, उनसे भेंट मुलाकात करेंगे।

9. यदि कोई मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति प्रमण्डल के मुख्यालय में परिदर्शन के लिये जाये, एवं आयुक्त वहां उपस्थित रहें, वे उनसे भेंट मुलाकात करेंगे।

(ख) गैर-सरकारी परिदर्शन--

(*i*) सामान्य रूप से किसी स्थान के परिदर्शन पर तब कोई मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति जाते हैं, वे सरकारी कार्य तथा वैयक्तिक या राजनैतिक कार्य दोनों प्रकार का कार्य सम्पादित करते हैं, किन्तु मात्र विशेष सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए या पूर्णतः व्यक्तिगत कार्यवश या राजनैतिक कार्यवश जब कोई मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति किसी निर्दिष्ट स्थान के परिदर्शन पर जाते हैं, उपस्थिति में परिदर्शन जिला मुख्यालय में होने पर जिलाधिकारी, अनुमण्डल मुख्यालय में होने पर अनुमण्डल पदाधिकारी, उनसे भेंट मुलाकात करेंगे और उनके लिए व्यवस्था आदि के बारे में उनसे ज्ञात हो लेंगे ।

(*ii*) ऐसे अवसरों पर जिलाधिकारी या अनुमण्डल पदाधिकारी को मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं होगा ।

2. राज्य सरकार के उप-मंत्री :--

(*i*) जिला मुख्यालय या अनुमण्डल मुख्यालय में, जब कोई उप-मंत्री सरकारी परिदर्शन पर या अन्यथा जायें, किसी-किसी जिलाधिकारी या अनुमण्डलाधिकारी को उनके स्वतंत्रता विदाई हेतु उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा। परन्तु विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे ।

(*ii*) यदि परिदर्शन जिला मुख्यालय या अनुमण्डल मुख्यालय में हो तो जिलाधिकारी या अनुमण्डल पदाधिकारी, उनके पहुंचने के पश्चात् जितनी शीघ्र हो सके, उनसे भेंट-मुलकात करेंगे । यदि उप-मंत्री के पहुंचने के समया जिलाधिकारी या अनुमण्डल पदाधिकारी, मुख्यालय के बाहर दौरे पर रहें, कि किन्तु उस स्थान से उप-मंत्री के विदा हो के पूर्व अपने मुख्यालय में वापस आ जाते हैं, यथा स्थिति जिलाधिकारी, या अनुमण्डल पदाधिकारी उप-मंत्री से भेंट मुलकात करेंगे ।

(*iii*) यदि निर्दिष्ट पदाधिकारी की उपस्थिति की अपेक्षा करें वे सब अपने दौरे कार्यक्रम में, या स्वतंत्र रूप से उसे दरसायेंगे ।

3. किसी मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति, या उप-मंत्री, के दौरे पर किसी पदाधिकारी को उनके साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि न उनके साथ जाने की अपेक्षा विशेष रूप से की जाय।

4. जिस सामाजिक, या अन्य उत्सव में कोई मंत्री सम्मिलित होते हैं, उसमें पदाधिकारियों उपस्थित रहने के लिए अपने सामान्य कार्य को रोकने की आवश्यकता नहीं है, यदि न उन्हें उपस्थित रहने के लिए विशेष रूप से इच्छा जाहिर करें ।

5. किसी मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति जब कोई पार्टी बैठक में हिस्सा लेते है तो सुरक्षा पदाधिकारी के अतिरिक्त किसी पदाधिकारियों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है ।

6. अन्य राज्य सरकारों के मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति।उप-मंत्री अन्य राज्यों के मंत्रियों।विशिष्ट व्यक्तियों।उप मंत्रियों के परिदर्शन के अवसर पर उपर्युक्त अनुदेश आवश्यक परिवर्त्तन सहित लागू होंगे ।